

### निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रस्तुप 2क

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र की

क्रम सं० ०४

मध्य 2.28 pm

तिथि, २१.५.२०१८

आर०३००-०२ प्रिंज्य अम्बारे  
लोक सभा निष्ठाचन क्षेत्र

नामनिर्देशन—पत्र

## लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें।

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

गै लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

पिता / माता / पति का नाम .....

उसका डाक पता

## संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट

## ..ਤੱਤਕਾਗ ਨਾਮ

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामांकिती के भाग से।

निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं०  
में क्रम सं० प्रवर्ति प्रविष्ट है ।

तारीख ..... (प्रतावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खडे न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

अन्यर्थी का नाम .....  
.....

पिता/माता/पति का नाम \_\_\_\_\_

ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ପତ୍ର  
ଉତ୍ସକା ହାକ ପତ୍ର

उराका डाक पता म्हागफ - धुगाली लाजारेवेंड - दिगोली अपां - उकोली इन्द्रधनुश्यानिलामुक

उसका नाम ०३ पंडित शशांक संसदीय निवाचन क्षेत्र \*(म समावृष्ट ११ लुगाली) विधान

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हग इस नामनिटेंशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

## प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

**प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक**

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग में संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	11 झुज़ोली	159	905	अमर्तंकर प्रसाद	अमर्तंकर प्रसाद 21-4-14	
2	11 झुज़ोली	215	867	नवील मिश्र	नवील मिश्र 21-4-14	
3	11 झुज़ोली	215	454	शिलारी महतो	शिलारी महतो 21-4-14	
4	11 झुज़ोली	159	27	मो० रफीक	Nd. Rafiq	21-4-14
5	11 झुज़ोली	159	679	ओशबन शम	ओशबन शम 21-4-14	
6	11 झुज़ोली	215	557	दुर्गा शहनी	दुर्गा शहनी 21-4-14	
7	11 झुज़ोली	215	467	झारिका महतो	झारिका महतो 21-4-14	
8	11 झुज़ोली	159	25	असहाय आलम	असहाय आलम 21-4-14	
9	11 झुज़ोली	159	738	जिआउल हस	जिआउल हस 21-4-14	
10	11 झुज़ोली	215	526	ईकर सहनी	ईकर सहनी 21-4-14	

कृपया ध्यान दें — प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

## भाग— 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने 36 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें )

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में  दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में  दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ईलगाड़ी

(ii) ग्राम (iii) झोली हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/प्रति का नाम ऊपर **हिन्दी** (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का रथान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं \*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो .....  
राज्य के उस राज्य में के .....  
\*जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख २१/०५/२०१४

Anand Rooppal  
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

\* लागू न होने वाले शब्द का ट दीजिए।

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :— “मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संवधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनीतिक दल अभिप्रेत है।

### भाग— 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम— 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—  
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या  
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,  
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या हूँ/नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है हूँ/नहीं  
यदि उत्तर “हूँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक मूल्य
- (ii) पुलिस थाना (थाने) मूल्य  
जिला (जिले) मूल्य  
राज्य मूल्य
- (iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था मूल्य
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) मूल्य
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था मूल्य

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें .....
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... अमृत
- (viii) व्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टताएँ :- अमृत
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- अमृत
- (xi) व्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है ..... अमृत
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो  
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... अमृत  
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति ..... अमृत

स्थान :- वैभिन्नों

तारीख :- २१।।०५।।२०१५

Anand Prakash  
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर )

#### भाग— 4

#### (रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम संख्या— ०९

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में २१.५.२०१५ (तारीख) को २.२८ pm (बजे) \*अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदृत किया गया ।

तारीख २१.५.२०१५

निवाची पत्रप्रिलिपि २१.५.२०१५  
(रिटर्निंग आफिसर)  
०२-परिचय व्यापार व सेवाव निवाचन क्षेत्र

\*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

#### भाग— 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :—

तारीख .....

(रिटर्निंग आफिसर)



(नियम 4क देखिए)

वित्तार ३५



१३२ संख्या  
रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अधिकारी हासा प्रसन्नत किया जाने वाला शपथपत्र  
**जगत खाटियण बिहार**  
लोक सभा / भाग-क

Authority  
Under Notaries Act B.R.O.  
109 B.C. 134 C. P. 8



334  
२१४/१५

मेरा नाम अनन्द प्रसाद पुत्र/पुत्री/पत्नी शिवनाथ बहादुर आयु ३६ वर्ष। जो राजनीतिक दल का नाम हास-खड़ा किया गया अर्थार्थी/एक स्वतंत्र अर्थार्थी के रूप में लड़ रहा है। (जो लागू न हो उसे काट दें) और उपरोक्त निवासी से अस्थर्थी हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। कहर्ता हूँ। शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ। कहर्ता हूँ।

- (1) मेरा नाम अनन्द प्रसाद (राजनीतिक दल का नाम) हास-खड़ा किया गया अर्थार्थी/एक स्वतंत्र अर्थार्थी के रूप में लड़ रहा है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम अनन्द प्रसाद - (11 मुहूर्ती) (निवासी के नाम) में भाग सं० १६३ के नम सं० २६ पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं ३३३९७५०५३०  
मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है शून्य  
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिधिति :-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रुपए ने)
1.	स्वयं <u>अनन्द प्रसाद</u>	CAFP 8446 L	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी <u>षिती देवी</u>	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1 <u>कल्पना कुमारी</u>	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2 <u>ननक कुमारी</u>	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3 <u>वाणी कुमारी सोहाय</u>	शून्य	शून्य	शून्य



Signature  
Anand Prasad  
21.04.14

Anand Prasad

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(उ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद

(i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है;



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादेश किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिधिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000	5,000	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	1,63,701	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Anand Prasad  
Surajpal  
21/11/14

	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भूमि	भूल	भूल	भूल	भूल
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में वधुपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा ग्रूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	भूल	भूल	भूल	भूल	भूल
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	भूल	भूल	भूल	भूल	भूल
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	भूल	भूल	भूल	भूल	भूल
(vi)	स्टोरियन/वायुयान/थाट/पोल/प्रैक्टिशियन्स/विद्युत/पानी/पानी के बायों का व्यवहार और इकमें कुल भूमि का मूल्य	3,78,000 60,000 प्रैक्टिशियन्स/विद्युत/पानी/पानी के बायों का व्यवहार और इकमें कुल भूमि का मूल्य	भूल	भूल	भूल	भूल
(vii)	जवाहरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुए) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	जोना-10भाग भाग-28,000 लोटी-16,450 भाग-4,300	जोना-53भाग भाग-1,65,200 लोटी-33,550 भाग-14,405	भूल	भूल	भूल
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	भूल	भूल	भूल	भूल	भूल
(ix)	समग्र कुल मूल्य	3,86,001	1,84,605	भूल	भूल	भूल

#### आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याए)	पैना पुर्वस्थिति हरिहरी धन लखर हरिहरी लैप्टॉप हरिहरी फोफू	भूल	भूल	भूल	भूल
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	8.8 एकड़ा 15 फीट रखा	भूल	भूल	भूल	भूल
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	हाँ विरासत नहीं विरासत	भूल	भूल	भूल	भूल



Anand Prasad

Signature  
21/4/14

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	14-11-2013	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	35,000	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्या विशासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि		भूमि
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्या विशासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	भूमि/लॉजिंग पार्ट २०-६ पुनर्निर्मित उच्च-दर्शकीय जिल्हा-बाजार	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि



Anand Bros & C

Divyanshu  
21/04/14

क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	अंगौली लंबाई १२००-१३०० चौड़ाई ६००-७००	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	अंगौली लंबाई १२००-१३०० चौड़ाई ६००-७००	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	हाँ	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	अंगौली लंबाई १२००-१३०० चौड़ाई ६००-७००	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	15,00 2,00	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	एकल	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
अनुगानित चालू बाजार मूल्य	1,00000000 125,000000	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	1,125,000000	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि

8) मैं, लोक वित्तीय रांगथाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ—

(टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के सामग्री रकम के व्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	पूँजी के ०३१ बैंक दृष्टिकोण अनुसार कर्तव्य (उत्तिष्ठान) भारत ४९८,०००	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	कोई अन्य दायित्व	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	दायित्वों का कुल योग	२,१५,०००		भूमि	भूमि	भूमि
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि

Anand Prakash

*Shivastu*  
Date:  
14/14



विभाग को शोध्य					
टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
सरकारी परिवहन (यायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
आय-कर शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
धनकर शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
सेवाकर शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
विक्रयकर शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
कोई अन्य शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

9) यूंगी या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं ..... हृषि एवं शमशेर  
 (ख) पति या पत्नी उषोहणी

10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिये अनुसार है:-

मेरी वर्ष - १९९५ वर्ष के दौरान मैं पूर्ण विद्यालयी हासिली प्राप्त की है। जिला इकाई विद्यालय (प्रगणपत्र/डिल्कामा/डिग्री, पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रूफ का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिरामें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

### भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमा० अ० अ० अ० प्रधान
2	डाक का पूरा पता	काठगुलाम-सुर्जीबाई बजारपुरानी, पाना-पुर्णली फौ० - ३१८८०, जिला इकाई विद्यालय, फै० - ३१५४५६
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	११ नं० इकाई, राजस्थान, ०२ पूर्व-यम्बारू, राजस्थान



Anand Prasad  
 Anand Prasad  
 21.7.14

4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा "खटंत्र" लिखें)	खटंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।  (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से बिना]	३४५				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	३४५				
7	..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।				
	(क) अभ्यर्थी CAF ११६८	३४५				
	(ख) पति या पत्नी शूलभ	३४५				
	(ग) आश्रित शूलभ	३४५				
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)	कुल दर्शित आय				
	विवरण	स्वयं	पुत्र या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	८,४६,००१	१,८४,६०५	३४५	३४५	३४५
ख	स्थावर आस्तियां					
	i स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	३५,०००/-	३४५	३४५	३४५	३४५
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संरिमाण लागत (यदि लागू हो)	३४५	३४५	३४५	३४५	३४५
	iii कि	३४५	३४५	३४५	३४५	३४५
	iii अनुनानित वर्तमान बाजार कीमत	४५,०००००	३४५	३४५	३४५	३४५



Anand Prasad

21/4/14

	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	45,00000 1,0000000	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प
9	दायित्व					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	2,98,000	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प
11	उच्चतम शैक्षिक अहंता: <i>वैदीक वर्ष - 1995 राज गांधी इन्डियन विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली एवं न्यूयार्क</i> <i>किंवदं विद्यालय परीक्षा अनिति पर्वता</i> (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरैं दें।)	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प	शूल्प

## सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्पर्य तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि—

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आंत्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख: 21.4.2014 को सत्यापित किया गया।

Anand Probodh  
अभिसाक्षी

टिप्पणी: 1. शपथपत्र नामांकन काइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक काइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई रत्नं खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: 4. शपथपत्र टकित या सुपादयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



Anand Probodh  
Shashi Bhushan Probodh  
Srivastav  
21.04.14

टिप्पणी 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रत्युत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ गर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'जात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं ७७३९३५०५३०

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

Anand Poddar

21/04/2014